होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

परिपत्र–9

क्रमॉक 115 /निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनाक 03-02-2018

शासन के द्वारा ई–ऑफिस ऑटोमेशन क्रियान्वयन की कार्यवाही के तहत सभी विभागों में विस्तृत कार्यवाही संपादित की जा रही है। मेरे द्वारा पदभार गृहण करने के बाद मेरे संज्ञान में आया कि कार्यालय में रिकार्ड का संधारण व्यवस्थित नहीं होने के कारण कई बार महत्वपूर्ण नस्तियां प्राप्त नहीं होती है, एवं कई बार महत्वपूर्ण जानकारी विलंब से प्राप्त होती हैं। इससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है, तथा कार्यवाही समयबद्ध पूर्ण नहीं हो पाती। यह गंभीर चिंता का विषय है।

ई–ऑफिस ऑटोमेशन क्रियान्वयन की कार्यवाही के तारतम्य में निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश होमगार्ड तथा राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के सभी मुख्यालयों एवं कार्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध होना चाहिए एवं सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। कार्यालय में स्वान कनेक्शन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुख्यालय एवं कार्यालयों की शाखाओं में उपलब्ध रिकार्ड का संधारण व्यवस्थित किया जावे। मुख्यालय एवं कार्यालयों की शाखाओं में नस्तियां/अभिलेखों को जिस स्थान (यथा आलमारी) पर सुरक्षित संधारित किया जाता है, उस पर फाईल/अभिलेखों की सूची का एक इंडेक्स भी चस्पा किया जावे। इसके साथ–साथ अत्यावश्यक फाईलों, अभिलेखों की स्कैनिंग की कार्यवाही का संपादन भी किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय के सभी अनुभागों (Sections) में अनुक्रमणिका पंजी (Index to registers) भी प्रथक से संधारित किया जावे।

मध्यप्रदेश होमगार्ड तथा राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालयों में सुशासन एवं ई–ऑफिस ऑटोमेशन कार्यवाही के तहत कार्यालय के रिकार्ड को सुरक्षित, सुसंगठित एवं व्यवस्थित करने में विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के साथ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

/

(महान भारत सागर)
महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमॉक 116 /निस/डीजी/2018 भोपाल, दिनाक 03-02-2018

प्रतिलिपिः

1– एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2– पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म0प्र0 जबलपुर ।
3– एडिशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
4– समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश ।
5– समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3.2.18
महानिदेशक,
होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं
आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश